कर भगवान शिव का पूजन किया एवं रहे।

खुशी की खबर न्यूनतम 45 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने की पात्रता निर्धारित की गयी है

यूटीयूः बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में गणित की बाध्यता खत्मः ओंकार सिंह

काम की खबरः

- ब्रिज कोर्स के द्वारा होगी गणितीय पूर्ति।
- 10वीं कक्षा में गणित अनिवार्य विषय रहा हो
- देश में प्रभावी हुए नये कानूनों के अनुरूप विश्वविद्यालय ने किया अपने लॉ कोर्स को संशोधित
- टिहरी स्थित होटल मैनेजमेंट संस्थान में दो वर्षीय डिप्लोमा इन एडवेंचर टूरिज्म संचालन की तैयारी

अमर हिन्दुस्तान

देहरादून। वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू की 27 जुलाई 2024 को सम्पन्न विद्या परिषद की 20वीं बैठक में लिये गये निर्णय जिसमें इस सत्र 2024-25 से बीसी0ए बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन का नया पाठ्यक्रम शुरू किये जाने का अनुमोदन विद्या परिषद द्वारा दिया गया है।और विश्वविद्यालय कीविद्या परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आज 02 अगस्त 2024 से ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

कुलपति प्रो ओंकार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिएसामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने की पात्रता निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उन अभ्यर्थियों को भी अब बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश का मौका दिया जायेगा जिनके पास 12वीं कक्षा में गणित विषय नहीं रहा हो, बशर्ते कक्षा 10 के पाठ्यक्रय में गणित अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा हो। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा में गणित विषय नहीं पढ़ा है, उन्हें बीसीए पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में गणित का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। गणित के ब्रिज कोर्स का उद्देश्य बीसीए पाठ्यक्रम के लिए जरूरी गणितीय आधार उपलब्ध कराना है। बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को गणित के लिए ब्रिज कोर्स शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में ही पूरा करना होगा। जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा में गणित नहीं पढ़ा है, उन्हें ब्रिज कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना जरूरी होगा और ब्रिज कोर्स को उत्तीर्ण करने के बाद ही बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं में शामिल होने की पात्रता होगी। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित संस्थानों में 20 दिनों के अन्तराल पर दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी और ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण नहीं करने पर छात्र का प्रवेश निरस्त माना जायेगा। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण होने के लिए बाह्य परीक्षा में 30 प्रतिशत और कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंकों का एक क्लास टेस्ट होगा। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करने हेतु किसी भी तरह के ग्रेस अंक नहीं दिये जायेंगे।

सिंह ने बताया कि बीसीए में प्रवेश के लिए एआईसीटीई/विश्वविद्यालय की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदण्डों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद के पास मौजूद है। तीन वर्षीय बीसीए डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रो को वैधानिक निकायों के नियमों और सिफारिशो के अनुसार यह कोर्स कुल अवधि अधिकतम 6 वर्ष में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाला कोई छात्रा एक साल बाद पाठ्यक्रम को छोड़ना चाहे तो उसे एक वर्षीय ''सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन''(सीसीए) रूप में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा परन्तु इस एक वर्ष के सर्टिफिकेट के लिए छात्र को न्यूनतम 45 क्रेडिट पूरे करने होंगे। इस कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट के साथ बाहर निकलने वाले छात्रों को ब्रेक लेने के तारीख से तीन साल के अन्दर फिर से प्रवेश करने की अनुमति भी होगी और अपना तीन वर्षीय बीसीए पाठ्यक्रम पूरा सकेंगे।

वहीं दूसरी ओर जो छात्र दो वर्ष पूरा करने पर इस पाठ्यक्रम से बाहर निकलना चाहेंगे उन्हें दो वर्षीय ''डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन''(डीसीए)डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जायेगा जिसके लिए छात्र को न्यूनतम 90 क्रेडिट्स पूरे करने होंगे। और जो छात्र डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकन निकलते हैं और ब्रेक लेने की तिथि से तीन साल के भीतर दोबारा प्रवेश की अनुमति होगी और अपना तीन वर्षीय बीसीए डिग्री कोर्स पूरा सकते हैं। तीन वर्षीय बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बी0सी0ए0) की डिग्री तभी प्रदान की जायेगी जब छात्र कुल 135 क्रेडिट अर्जित करेगा।

वहीं दूसरी 27 जुलाई, 2024 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की 20वीं विद्या परिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया है कि देश में हाल ही में प्रभावी किये गये नये आपराधिक कानूनों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के लॉ विधाओं के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में उक्त नये कानूनों को सम्मिलित करते हुए नवीन पाठ्यचर्या एवं ऑर्डिनेंस को तैयार कर प्रभावी किये जाने की अनुमति विद्या परिषद द्वारा प्रदान की गयी है।